कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

-:: नीलामी इश्तेहार ::-

क्रमांक- 945 /तीन-09-01/2007/2025 छिंदवाड़ा, दिनांक 14/07/2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अनुपयोगी/अपलेखित शासकीय वाहन क्रमांक एम0पी0-02-ए0व्ही0-2471 टाटा इंडिगो जी0एल0एक्स0 **जैसी है, वैसी,** की खुली नीलामी दिनांक 28.08.2025 दिन गुरूवार को प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 03.00 बजे तक स्थान न्यायालय परिसर, छिन्दवाड़ा में सम्पादित की जावेगी।

अतः खरीदने के इच्छुक व्यक्ति निर्धारित समय में उपस्थित होकर बोली बोल सकते हैं।

-: नीलामी की शर्ते :-

1- नीलाम किये जाने वाले शासकीय वाहन का अपसेट प्राईस या अपलेखन मूल्य रूपयें 61000.00 रूपयें/इकसठ हजार रूपयें निर्धारित है।

2- नीलामी में भाग लेने वाले क्रेतागण को अमानत राशि 5000/- रूपये का डीडी माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा के नाम से पेश करना अनिवार्य होगा अन्यथा नीलामी के प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा, सर्वोच्च बोलीकर्ता के अलावा अन्य क्रेतागण को अमानत राशि 5000/- रूपये का डीडी वापिस कर दी जावेगी। उक्त डीडी नीलामी दिनांक 28.08.2025 के तीन कार्य दिवस पूर्व अर्थात् दिनांक 23.08.2025 को आवश्यक रूप से नजारत अनुभाग, छिन्दवाड़ा जमा कराया जावे।

3- नीलामी कार्यवाही प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, छिन्दवाड़ा द्वारा संचालित होगी एंव अंतिम निर्णय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा का मान्य होगा।

4- जिस क्रेता के नाम पर बोली समाप्त होगी उन्हें सम्पूर्ण राशि तत्काल जमा करनी होगी, राशि जमा न करने की दशा में अमानत राशि शासन के पक्ष में राजसात कर ली जावेगी एवं वाहन की पुनः नीलाम की जावेगी।

5- अंतिम नीलामी बोलीकर्ता को उससे प्राप्त डीडी सम्पूर्ण नीलामी कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत वापस कर दी जावेगी।

6- सर्वोच्च बोली लगाने वाले क्रेता को नीलामी से संबंधित सभी आवश्यक शर्ते नियमानुसार पूर्ण करनी होगी।

7- न्यायालय का कोई भी अधिकारी/कर्मचारी नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।

8- वाहन के संबंध में जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु नजारत अनुभाग, छिन्दवाड़ा में जिला नाजिर, नायब नाजिर या विक्रय अमीन से सम्पर्क किया जा सकता है।

9- सर्वोच्च बोलीकर्ता को अपने व्यय पर उक्त वाहन का नवीन रजिस्ट्रेशन, बीमा आदि कार्य करना होगा, जिसका प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या स्क्रेप किये जाने की दशा में स्क्रेप किये जाने का प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा।

प्रतिलिपि :-

(1) जिला न्यायालय के पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु जे0एस0ए0 की ओर प्रेषित,

(2) जनसंपर्क, अधिकारी छिन्दवाड़ा को सूचनार्थ एवं जनसाधारण में प्रसारार्थ प्रेषित,

(3) इश्तेहार की एक प्रति व्यवहार न्यायालय के सूचना पटल पर, कार्यालय जिला अध्यक्ष एवं तहसील न्यायालय के सूचना पटल व छिन्दवाड़ा एवं बार एसोशिएसन छिन्दवाड़ा के सूचना पटल पर चस्पा किये जाने हेतु,

(4) बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, स्थानीय बाजार, चौराहा पर चस्पा किये जाने हेतु।

प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा
14-7-25